प्राक्कथन

यह रिपोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार की गई है।

रिपोर्ट में मनोरंजन क्षेत्र में सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं और यह 2013-14 से 2015-16 की अवधि को कवर करती है। जहां भी आवश्यक है, वहां अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामलों को भी शामिल किया गया है।

इस रिपोर्ट में वह उदाहरण उल्लिखित हैं, जो 2016-17 की अवधि के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा में देखे गये थे।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखाकरण मानकों के अनुसार की गई है।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त सहयोग के लिये आभार व्यक्त करता है।